संख्या-36/2026/001-129डब्लू-26-27-3099/85/2026

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- इजरावाद संख्या-04/2018 अशर्फी लाल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 लारा कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 के क्रम में धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-268/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/शारदा सहायक दिनांक 23.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-39, प्रयागराज से सम्बन्धित इजरावाद संख्या-04/2018 अशर्फी लाल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 लारा कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 के अनुपालन में धनराशि रू0 2,75,531.00 (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्कतीस मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: इजरावाद संख्या-04/2018 अशर्फी लाल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 लारा कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 के अनुपालन में धनराशि रू0 2,75,531.00 (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्कतीस मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाय। किसी गलत भू-स्वामी को किये गये भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,75,531.00 (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्कतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-094 लेखाशीर्षक- 4700-09-050-10-16-24 शारदा सहायक (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शीतला प्रसाद
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कोषाधिकारी, प्रयागराज।

9- अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदशम मण्डल सिंचाई कार्य, प्रयागराज।

10- अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-39, प्रयागराज।

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।